

E-Mail

बिहार सरकार  
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पत्रांक - प्र06-विविध-07/13  
प्रेषक,

9041

खाद्य,पटना/दिनांक 02/12/15

पंकज कुमार,  
सरकार के सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी ।

विषय :- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत आवंटित खाद्यान्न के उठाव वितरण में एकरूपता नहीं होने के संबंध में ।

महाशय,


उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि Online उठाव एवं वितरण प्रतिवेदन के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि जिले में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के आलोक में भारत सरकार से प्राप्त खाद्यान्न के उठाव एवं वितरण में एकरूपता नहीं है। खाद्यान्न का फूड कैलेंडर के अनुसार उठाव एवं वितरण नहीं होने के कारण लाभुकों को ससमय खाद्यान्न उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है, जो कि नियमों की अवहेलना है । पूर्व में विभागीय पत्रांक-7105 दिनांक 03.09.2015 द्वारा माह सितम्बर 2015 से खाद्यान्न एवं किरासन तेल का वितरण क्रमशः राशन कूपन एवं किरासन तेल कूपन के आधार पर कराने हेतु निदेश दिया गया था । उल्लेखनीय है कि बिहार विधान सभा निर्वाचन के कारण कई जिलों में NFSA के अन्तर्गत खाद्यान्न का वितरण पिछड़ गया है एवं इससे लाभुकों में भ्रांति के साथ वितरण में अनियमितता भी हो सकती है । अतः वितरण हेतु तिथि निर्धारित कर खाद्यान्न वितरण के माह का भी व्यापक प्रचार प्रसार के साथ निगरानी समिति के देख-रेख में वितरण करायी जाय । वितरित खाद्यान्न का भुगतानशुदा कूपन निश्चित रूप से प्राप्त कर इसके लेखा का संधारण प्रखंड स्तर पर की जाय । सभी अवितरित माह नवम्बर तक का वितरण 10 दिनों में सुनिश्चित करावें ।

2. दिसम्बर, 2015 से हर हाल में राज्य में लागू फूड कैलेंडर के अनुसार उठाव एवं वितरण में एकरूपता लायी जाय ।

3. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के आलोक में खाद्यान्न का वितरण कूपन के माध्यम से सुनिश्चित कराने हेतु निदेशित किया गया था उक्त के संदर्भ में विगत महीने के लाभुकों से प्राप्त कूपनों के आधार पर ही अगले माह का खाद्यान्न ससमय उठाव कर लाभुकों के बीच वितरण कराना सुनिश्चित किया जाय ।

इसे गंभीरता से लें ।

विश्वासभाजन,


  
सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक- प्र06-विविध-07/13

9041

खाद्य,पटना/दिनांक 02/12/15

प्रतिलिपि - सभी प्रमंडलीय आयुक्त/उप निदेशक, खाद्य को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

  
सरकार के सचिव ।